E-Mail

पत्र संख्या–1/चौ0–90–10/2014 गृ0आ0 9143

बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग ।

प्रेषक,

रामजीवन सत्यार्थी,
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार ।

पटना, दिनांक 27 अक्टूबर, 2014

विषय :– चौकीदार/दफादार संघ से प्राप्त मांग पत्र के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक 5871, दिनांक 15.06.2014 (छायाप्रति संलग्न) की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि उक्त पत्र द्वारा वांछित प्रतिवेदन अबतक विभाग को अप्राप्त है ।

अतः अनुरोध है कि उक्त पत्र के आलोक में कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन यथाशीघ्र विभाग को उपलब्ध कराया जाय ।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

विश्वासभाजन

16/10/14

सरकार के उप सचिव

पत्र संख्या–1/या0–90–10/2014 गृ0आ0 5871

बिहार सरकार

गृह (आरक्षी) विभाग ।

प्रेषक,

रामजीवन सत्यार्थी,
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार ।

पटना, दिनांक 15 जुलाई, 2014

विषय :– चौकीदार/दफादार संघ से प्राप्त मांग पत्र के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि बिहार राज्य दफादार चौकीदार संघ के द्वारा अपनी मांगों से संबंधित निम्नलिखित रूप में मांग पत्र दिया गया है जिसपर आपका मंतव्य अपेक्षित है।

क्र0	मांग	निर्देश
1	2	3
(1)	01.01.1990 के पूर्व के नियुक्ति के जितने मामले लम्बित है, उसका निपटारा किया जाय ।	01.01.1990 के पूर्व चौकीदार के नियुक्ति के कितने मामले है, उसकी संख्या चिन्हित कर उपलब्ध कराया जाय ।
(2)	सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 7540/2012 (पी0आई0एल0) अध्यक्ष, बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत (राम अवधेश सिंह बनाम बिहार सरकार के दिनांक 30.04.2012 के निर्णय के आलोक में दफादार चौकीदार के प्रतिमाह वेतन भुगतान का कडा निर्देश जारी किया जाय। दफादार चौकीदारों के वेतन भुगतान में तीन–चार माह लग जाते है । दफादार चौकीदारों के वेतन भुगतान में अनुमंडलाधिकारी का प्रतिहस्ताक्षर हटाया जाय । दफादार चौकीदारों का आवंटिन पूरे साल का एक बार ही भेजा जाय ।	01.01.1990 से चौकीदार/दफादार सराकरी कर्मचारी घोषित है । फलस्वरूप इन्हें प्रत्येक माह वेतन का भुगतान होना चाहिए । प्रत्येक माह वेतन का भुगतान नहीं होने के कारण तथा वेतन भुगतान में अनुमण्डलाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर की आवश्यकता के संबंध में अपने मंतव्य से अवगत कराया जाय ।
(3)	दफादार चौकीदारों को ए0सी0पी0 का लाभ, मैट्रिक उत्तीर्ण दफादार चौकीदारों को समुह "ग" में प्रोन्नत वीट से बाहर डियूटी लेने पर दफादार चौकीदारों को यात्रा भत्ता, ठराव भत्ता देने हेतु सभी जिलाधिकारियों को कड़ा निर्देश जारी किया जाय ।	विभागीय पत्र सं0 3871, दिनांक 05.05.08 के द्वारा दफादार/चौकीदार को ए0सी0पी0 का लाभ देने एवं विभागीय पत्र सं0 5900 दिनांक 20.07.2014 के द्वारा चतुर्थवर्गीय कर्मचारी के समान यात्रा भत्ता, ठहराव भत्ता आदि अनुमान्य सुविधाएँ दिये जाने का निदेश निर्गत है। इसके अनुपालन में यदि कोई कठिनाई हो तो अपने मंतव्य से अवगत कराया जाय । अन्यथा पत्रों में दिए गए निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।
(4)	दफादार चौकीदारों से चौकीदारों मैन्यूअल तथा राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार ही कार्य लिया जाय । बैंक डियूटी, कैदी स्कार्ट डियूटी तथा बीट से बाहर डियूटी नहीं दिया जाय ।	चौकीदारों से बैंक डियूटी, कैदी स्कार्ट डियूटी तथा बीट से बाहर डियूटी लेने के मामले में उनकी मॉग के आलोक में अपने मंतव्य से अवगत कराया जाय ।

अनुरोध है कि उपर्युक्त सभी मांगों पर अलग–अलग समीक्षा के साथ कंडिकावार सूचनाएँ अपने मंतव्य सहित उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

~~अनुलग्नक :– यथोक्त~~ ।

विश्वासभाजन

15/7/15

सरकार के उप सचिव